# न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

## पीठासीन अधिकारी : चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2019 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 01.04.2019

1-मांगू पिता किशना जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2-गणेश पिता किशना जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांट

बनाम

1-रामलाल पिता नंदा जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2-उदयलाल पिता नंदा जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3-बाली बाई पुत्री नंदा जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4-धापू पुत्री धनराज जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5-नाराणी पुत्री धनराज जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6-रतनी पुत्री धनराज जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7-प्यारी पुत्री धनराज जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8-कालूलाल पिता जगन्नाथ जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
9-खेमराज पिता जगन्नाथ जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
10-हेमराज पिता जगन्नाथ जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
11-लाली बाई पुत्री जगन्नाथ जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
12-शांति बाई पुत्री जगन्नाथ जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
13-हगामी बाई पुत्री जगन्नाथ जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14-नारायण पिता रामचन्द्र जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

15-प्यारी बाई पुत्री रामचन्द्र जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

16-धापू पुत्री रामचन्द्र जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

17-काली पुत्री रामचन्द्र जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

18-जमनी बाई पत्नि रामचन्द्र जी भोई उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

19-कैलाश पिता रतन जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

20-कंकू पुत्री रतन जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

21-जमनी पत्नि रतन जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

22-श्यामा पिता मोहन जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

23-डालू पिता मोहन जी भोई, उम्र वयस्क, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

24-सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के आदेश नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 28.05.1993 ग्राम सोनगरों की खेडी पटवार हल्का सोनगर**

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थितिः- 1- श्री राकेश पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता, अपीलांट्स

2- श्री कमलेश धाकड़, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स 1 से 23

**निर्णय**

**दिनांक 21.01.2020**

Web Copy - Not Official

**जिला कलेक्टर**

**चित्तौडगढ**

| प्र. सं. 03/2019 (रा. अ.) |
|---|
| मांगू पिता किशना भोई निवासी बस्सी वगैरा बनाम रामलाल पिता धनराज भोई निवासी बस्सी वगैरा |

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा किशना पिता तेजा भोई निवासी बस्सी की मृत्यु होने पर उनकी खातेदारी मे दर्ज ग्राम सोनगरों की खेडी पटवार हल्का सोनगर की आराजीयात का विरासत का नामान्तरण करने का आदेश दिया जो कि कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पटवार हल्का द्वारा जो सजरा बनाया उसमें अपीलान्ट्स के बजाए, सहवन से सीता, तुलसी, धापू का नाम भी लिख दिया जबकि वास्तविकता में मृत्तक किशना जी के कोई पुत्री ही नहीं है फिर भी सहवन से नामान्तरण के पुष्ठ भाग पर अपीलान्ट्स का नाम दर्ज नहीं करके सीता, धापू व तुलसी को पुत्री मानते हुए नामान्तरण खोल दिया जो निरस्त योग्य है। अतः पारित इन्तकाल संख्या 74 दिनांक 28.05.1993 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से दर्ज सीता, धापू, तुलसी पिता किशना का नाम विलोपित कर अन्य सह खातेदारान के साथ मांगू, गणेश पिता किशना जी भोई का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश धाकड़ ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब पेश होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट्स के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा किशना पिता तेजा भोई निवासी बस्सी की मृत्यु होने पर उनकी खातेदारी में दर्ज ग्राम सोनगरों की खेडी पटवार हल्का सोनगर की आराजी नम्बर 52, 115, 116 किता 03 कुल रकबा 2.12 है. एवं आराजी नम्बर 53, 54, 57, 60 एवं 61 किता 05 कुल रकबा 1.43 है. का विरासत का नामान्तरण खोलने का आदेश पारित किया। उक्त नामान्तरण में सजरा व प्रविष्ठि अनुसार किशना के पुत्रों मांगू व गणेश को विरासतीय नामान्तरण से वंचित करते हुए सहवन से सीता, धापू, तुलसी को मृत्तक किशना की पुत्रियां बताते हुए उनका नाम दर्ज कर दिया जबकि वास्तविकता में किशना के कोई पुत्री थी ही नहीं। सीता, धापू व तुलसी नाम का कोई वारिस नहीं है, उनके बजाए अपीलांट्स मांगू व गणेश का नाम दर्ज होना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है बल्कि गलत नाम दर्ज कर दिया है। नामान्तरण संख्या 74 के कॉलम संख्या 07 मे मृत्तक किशना पिता तेजा का नाम दर्ज है जबकि कॉलम संख्या 09 में मृत्तक किशना के वारिसान का नाम दर्ज है जिसमें अपीलांट्स का नाम दर्ज है जबकि सीता, धापू व तुलसी का कहीं नाम दर्ज नहीं है क्योंकि ये तीनों किशना जी की पुत्रियां ही नहीं है जिससे उनका नाम हटाया जाकर अपीलान्ट्स का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इन्तकाल पारित होने की

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी। सर्वप्रथम शुद्धिपत्र लेने जाने पर दिनांक 12.02.2019 को नामान्तरण में गलत प्रविष्ठि होने की जानकारी हुई उसी दिन नामान्तरण की नकल प्राप्त कर दिनांक 12.03.2019 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की है फिर भी अपील में हुए विलम्ब में वृद्धि हेतु धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 28.05.1993 निरस्त कर सीता, धापू व तुलसी के बजाए अपीलांट्स मांगू, गणेश पिता किशना भोई का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का मुख्य कथन यह रहा कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जो नामान्तरण संख्या 74 में सीता, धापू व तुलसी नाम की लड़कियां होने का अंकन किया है जबकि किशना पिता तेजा भोई के कोई पुत्रियां ही नहीं है सीता, धापू व तुलसी की जगह अपीलांट्स मांगू व गणेश का नाम दर्ज होना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार फरमाकर धापू, सीता व तुलसी के बजाए अपीलांट्स का नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 74 की प्रति का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि पटवार हल्का द्वारा जो सजरा बनाया गया है उसमें अपीलांट्स मांगू व गणेश को भी अन्य वारिसान के साथ दर्शाया है परन्तु उक्त नामान्तरण के पुष्ठ भाग पर सहवन से सीता, धापू व तुलसी का नाम दर्ज करना प्रतीत होता है।

अपीलांट्स द्वारा मृत्तक किशना पिता तेजा भोई का ग्राम नेगडिया खुर्द पटवार हल्का घोसुण्डी के खाता संख्या 150 में दर्ज आराजीयात किता 08 रकबा 2.64 है. की जमाबन्दी एवं जो पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया है उसमें भी सीता, धापू व तुलसी नाम की कोई पुत्रियां/वारिसान मृत्तक किशना के दर्ज होना सिद्ध नहीं है। जबकि ग्राम नेगडिया खुर्द के खाता संख्या 150 में अपीलांट्स का नाम मृत्तक किशना के वारिसान में पुत्र के रूप में दर्ज है।

कार्यालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत अपील मे सभी रेस्पोडेन्ट्स, श्री सरकार तहसीलदार भूमिधारी को छोड़कर, मृत्तक किशना पिता तेजा के अन्य वारिसान हैं जिन्होनें भी जवाब में अपील में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रेस्पोडेन्ट्स/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 28.05.1993 धापू, सीता एवं तुलसी के हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि धापू, सीता व तुलसी के बजाए आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलांट्स का नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें।

"निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।"

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:28:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: